पत्रांकः—2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part—I)---08/19-20 जे० सी०

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषकः

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो० हिनू, राँची।

/राँची, दिनांकः— 9.07.2019

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः— विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2019—20 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये 1,00,00,000/— (एक करोड़ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश — स्वीकृत।

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप, कृषक जागरूकता अभियानों एवं प्रशिक्षणों में भाग लेने तथा विभागीय स्तर पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2019—20 में एक निश्चित अन्तराल पर प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना है। यह प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों के उच्च स्तर के संस्थानों में भी प्रस्तावित है। साथ ही, विभाग में उत्कृष्ठ कार्यों के मूल्यांकण (Evaluation) के आधार पर अभियंताओं, अधिकारियों कर्मचारियों, कृषकों, जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों इत्यादि को पुरस्कृत करने/प्रशस्ति पत्र दिये जाने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर—सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों, CADWM एवं सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपभोक्ता संगठनों (WUAs) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मलेन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप के लिये राशि का भी प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर कृषकों/जल उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों को बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। साथ ही, जल संसाधन के विकास एवं नदी घाटी योजनाओं पर आधारित बी०आई०एस० (B.I.S.) कोड की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी तथा इसके अद्यतन संस्करण की

खरीद, सी०बी०आई०पी० (C.B.I.P.), तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित जल संसाधन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन तथा वन एवं पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी पुस्तकों का क्रय करने तथा उसके संधारण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की उपलब्धियों तथा इस वर्ष की कार्य योजना से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, विभाग के स्तर से निर्धारित की जानेवाली नीतियों से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, PIM की पुस्तिका का प्रकाशन तथा विभाग की ओर से जारी किये जानेवाले विज्ञापनों पर होने वाले व्यय का प्रावधान समाहित किया गया है।

सी०पी०एम०/पर्ट (C.P.M./PERT), जल विज्ञान, जलीय संरचनाओं का रूपांकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि से संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (STANDD. PRO, AUTO-CAD, Arc-GIS आदि) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखण्ड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन तथा राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करने की भी आवश्यकता है। उपर्युक्त कार्य, जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर अंकित है, के लिए रू० 100.00 (एक सौ) लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष के अधीन भारित होगा :–

(I)	49S470180796690321	:-	Rs. 50,00,000.00
(II)	49S470180003690321	:-	Rs. 50,00,000.00
	Total	:-	**Rs. 100,00,000.00**

3. (क) इस कार्य के अन्तर्गत जिस प्रक्षेत्र के लिए राशि की निकासी होगी उसी प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता, नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(ख) इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर–महागामा/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची/उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे। राशि की निकासी प्रमण्डल से संबंधित क्षेत्र के कोषागार से होगी।

4. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में 1.00 करोड़ (एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंध है।

6. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

27.6.19

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः–2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part–I) 08/19-20 ५८९/ **राँची, दिनांकः–** 01.07.2019

प्रतिलिपिः–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः–2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part–I) 08/19-20 ५८९/ **राँची, दिनांकः–** 01.07.2019

प्रतिलिपिः– कोषागार, पदाधिकारी/उप–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/गढवा/देवघर/ राँची/हजारीबाग/ सरायकेला–खरसावाँ/साहेबगंज/उप–कोषागार, घाटशिला/तेनुघाट, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः–2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part–I) 08/19-20 ५८९/ **राँची, दिनांकः–** 01.07.2019

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव (अभि॰)/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल भवन, डोरण्डा, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ हजारीबाग/ मेदिनीनगर/ देवघर/ईचा–गालूडीह/चांडिल कम्पलेक्स/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/जलपथ अंचल, हजारीबाग/बराज अंचल, गालूडीह/खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर/समग्र योजना एवं जल विज्ञान, अंचल, राँची/सिंचाई अंचल, जसीडीह शिविर–देवघर/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/

कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह / कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज / सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर–महागामा / कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची / कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट / खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर / उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची / ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु / उप सचिव (अभियंत्रण) / प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः–2 / पी०एम०सी० / आवंटन / 45 / 2008 (Part–I) 08/19-20 ५:९१५ / राँची, दिनांकः–01.07.2019

प्रतिलिपिः–आयुक्त, दक्षिणी छोटानागरपुर प्रमण्डल, राँची / उत्तरी छोटानागपुर, प्रमण्डल, हजारीबाग / कोल्हान प्रमण्डल / संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर / सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः–2 / पी०एम०सी० / आवंटन / 45 / 2008 (Part–I) 08/19-20 ५:९१५ / राँची, दिनांकः–01.07.2019

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः–2 / पी०एम०सी० / आवंटन / 45 / 2008 (Part–I) 08/19-20 ५:९१५ / राँची, दिनांकः–01.07.2019

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता (मो०)–1, 2, एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7, जंल संसाधन विभाग, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः–2 / पी०एम०सी० / आवंटन / 45 / 2008 (Part–I) 08/19-20 ५:९१५ / राँची, दिनांकः–01.07.2019

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/7/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव